



शैक्षणिक अनुभाग

मानू/शैक्षणिक/एफ.613/2019-20/412

16 मार्च, 2020

आदेश

विषय : कोविड-19 के संचरण में कमी/निवारण एवं कक्षाओं के निलंबन के संबंध में।

\*\*\*\*\*

कोविड -19 के प्रसार पर भारत सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं तेलंगाना सरकार के निर्देशों के अनुसार जारी सलाह के आलोक में, मानू के सभी हितधारक अर्थात् मुख्यालय के साथ-साथ ऑफ-कैम्पस के छात्रों, शिक्षकों और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों से अनुरोध है कि, कोरोनावायरस (कोविड-19) के प्रसार को रोकने के लिए विश्वविद्यालय के निम्नलिखित निर्णयों का कड़ाई से अनुपालन करें।

1. मुख्यालय एवं ऑफ-कैम्पस में दिनांक. 16 से 31 मार्च, 2020 तक कक्षा अध्यापन निलंबित कर दी गई है।
2. सभी छात्रों को अपने घरों में लौटने और पर्याप्त सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।
3. कोविड-19 के कारण उत्पन्न होने वाली महामारी की स्थिति को रोकने के लिए तथा छात्रावास में एकत्रित होने से बचने के लिए छात्रावास में रहने वाले छात्रों को दिनांक 20.03.2020 तक छात्रावास खाली करने की सलाह दी जाती है।
4. अगले आदेश होने तक मुख्यालय तथा ऑफ-कैम्पसों की सभी संगोष्ठियाँ/सम्मलेन/परिसंवाद/सांस्कृतिक गतिविधियों आदि को रद्द कर दिया गया है।
5. विश्वविद्यालय खुला रहेगा तथा यू.जी.सी. की सलाह के अनुसार शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारी एहतियात के साथ अपने कर्तव्यों(ड्यूटी) का पालन करेंगे।
6. शिक्षक अपनी समय सारणी के अनुसार ई-संसाधनों के माध्यम से छात्रों को उपलब्ध रहेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो।
7. विश्वविद्यालय के सभी चिकित्सा अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि छात्रों, शिक्षकों और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को इस संबंध में उचित रूप से संवेदनशील बनाया जाए तथा कोविड -19 की रोकथाम के लिए प्रभावी उपाय किए जाएं।
8. इस संबंध में कोई अद्यतन/दिशा-निर्देश के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट देखें।

प्रभारी कुलसचिव

सेवा में

1. सभी अध्ययन संकाय के संकायाध्यक्ष
2. सभी विभाग के विभागाध्यक्ष/सभी सीटीई, पॉलिटेकनीक, मॉडल स्कूल के प्रधानाचार्य, लखनऊ एवं श्रीनगर कैम्पस/केन्द्रों/निदेशालय(शिक्षण व अनुसंधान)/सभी क्षेत्रीय एवं उप-क्षेत्रीय केन्द्र
3. सभी अनुभाग अध्यक्ष/ प्रभारी(गैर-शैक्षणिक)

प्रति

1. कुलपति/कुलसचिव कार्यालय
2. निदेशक, सीआईटी को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3. संबंधित फाइल